रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122021-232278
CG-DL-E-31122021-232278

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 738]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943
No. 738]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 912(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उप-धारा (2) के उप-खंड (ण), (भ) और (यग) के साथ पठित धारा 34 की उप-धारा (1) के परंतुक, धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) और धारा 58 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता) नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

   (क) "अधिनियम" से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (2019 का 35) अभिप्रेत है;

   (ख) "जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग" का अर्थ वही होगा जो उसका अधिनियम में है।

   (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं है, और अधिनियम में परिभाषिति हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

3. **जिला आयोग की अधिकारिता –** अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन और अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के परंतुक के अनुसरण में, जिला आयोग की अधिकारिता, ऐसी शिकायतों पर होगी, जिनमें माल और सेवाओं के प्रतिफल के रूप में भुगतान किया गया मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक न हो।

4. **राज्य आयोग की अधिकारिता –** अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन और धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) के परंतुक के अनुसरण में, राज्य आयोग की अधिकारिता, ऐसी शिकायतों पर होगी, जिनमें माल और सेवाओं के प्रतिफल के रूप में भुगतान किया गया मूल्य पचास लाख रूपये से अधिक हो किंतु दो करोड़ रुपये से अधिक न हो।

5. **राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता -** अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन और धारा 58 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) के परंतुक अनुसरण में, राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, ऐसी शिकायतों पर होगी, जिनमें माल और सेवाओं के प्रतिफल के रूप में भुगतान किया गया मूल्य दो करोड़ रुपये से अधिक हो।

[फा.सं. जे-9/1/2020-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2021

G.S.R. 912(E).—In exercise of the powers conferred by provisos to sub-section (1) of section 34, sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 47 and sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 58 read with sub-clauses (o), (x) and (zc) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:--

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Consumer Protection (Jurisdiction of the District Commission, the State Commission and the National Commission) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **Definitions**.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) "District Commission, State Commission and National Commission" shall have the meaning assigned to them in the Act;

(2) The words and expressions used herein, but not defined, and defined in the Act, shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. **Jurisdiction of District Commission**.—Subject to the other provisions of the Act and in pursuance of proviso to sub-section (1) of section 34 of the Act, the District Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed fifty lakh rupees.

4. **Jurisdiction of State Commission**.—Subject to the other provisions of the Act and in pursuance of proviso to sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 47, the State Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration exceeds fifty lakh but does not exceed two crore rupees.

5. **Jurisdiction of National Commission**.—Subject to the other provisions of the Act and in pursuance of proviso to sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 58, the National Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration, exceeds two crore rupees.

[F. No. J-9/1/2020-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.12.31 14:29:12 +05'30'